UPSI010094882023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–8, सीतापुर

सत्र परीक्षण सॅख्या–2136 / 2023
राज्य बनाम बलविन्द्र सिंह
मुकदमा अपराध संख्या–288 / 1992
थाना–कोतवाली, जिला–सीतापुर।
सी0आई0एस0नम्बर–2136 / 2023

28.11.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली प्रार्थना–पत्र–24ख के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र–24ख

1–प्रार्थीगण / अभियुक्तगण बलविन्द्र सिंह एवं गुरूदीप सिंह उर्फ गौरी सरदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–24ख, वास्ते उन्मोचित किये जाने प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा–482 दण्ड प्रकिया संहिता संख्या–9660 / 2023 में दिये गये आदेश में, प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष, आदेश के पारित होने की तिथि से 15 दिन के भीतर उन्मोचन आवेदन दाखिल करने तथा यदि आवेदन दाखिल कर दिया गया है तो विचारण न्यायालय द्वारा 3 सप्ताह के भीतर, उसे निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2–मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि–वादिनी मुकदमा श्रीमती अनीता खरे ने दिनांक–27.04.1992 को थाना–चौक कोतवाली लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक–25.04.1992 को रात्रि समय–09:00 बजे, बलवेन्द्र सिंह व गौरी सरदार, जिनके साथ एक आदमी था, वादिनी के पति को घर से यह कहकर बुला ले गये कि चलकर मामला तय कर लेते है तथा पंजाब नेशनल बैंक के पास की पान की दुकान से पान मसाला ले लिया और वादिनी के पति को खिला दिया। वादिनी के पति बातो में मसगूल होने के कारण जान नहीं पाये कि पान मसाले में जहर मिला दिया गया है। वादिनी मुकदमा के पति को थोड़ी देर बाद पेट में दर्द महसूस हुआ तब उन्होने इन तीनों लोगो से कहा कि उसे घर पहुॅचा दो, इन लोगो ने न–नुकर किया, वहॉ पर मौजूद लोगो के कहने पर यह लोग वादिनी के पति को समय–10:00 बजे, घर लाये, तो उस समय वादिनी के पति भयंकर पेट दर्द से तड़प रहे थे और उल्टी करना शुरू कर दिये। घर पहुॅचते ही तीनो लोगों ने अपनी जेब से से दो टेबलेट टिकिया निकालकर वादिनी के पति को खिला दिया और कहा कि यह पेट दर्द की दवा है, इसी बीच वादिनी मुकदमा अपने मकान मालिक गंगाप्रसाद दीक्षित व उनके बेटे को साथ लेकर जिला अस्पताल गयी, उक्त तीनो लोग भी साथ में थे। वादिनी के पति कह रहे थे कि उक्त तीनो दोस्तो ने मसाले के बहाने कुछ खिला दिया है, यह बात सुनकर वादिनी मुकदमा व उसका पुत्र घबरा गये और अस्पताल में हालत अत्यधिक खराब होने के बावजूद और यह कहने के बाद भी कि उन्हें कोई जहरीली चीज खिला दी गयी है, वहॉ डाक्टर ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया और डाक्टर आश्वासन दे रहे

थे कि गर्मी के कारण वादिनी मुकदमा के पति की यह हालत हो गयी है। वादिनी के पति की रात में हालत ज्यादा खराब होने के कारण डाक्टरो ने वादिनी के पति को मेडिकल कालेज लखनऊ ले जाने की सलाह दी। वादिनी के पति को मकान मालिक गंगाप्रसाद दीक्षित व दूसरे किरायेदार सतीश द्विवेदी लखनऊ ले गये और समय–07:30 बजे, वादिनी के पति को लेकर मेडिकल कालेज पहुॅचे और उन्हें समय–08:00 बजे, गांधी वार्ड में भर्ती कराया और इसी दौरान समय–08:40 बजे उनकी मृत्यु हो गयी, जिसकी सूचना थाना–चौक को दी गयी। वादिनी के उक्त सूचना के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई एवं पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गयी। पुलिस ने मामले में अन्तिम रिपोर्ट इस कथन के साथ दाखिल की कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। दिनांक–22.07.2023 को विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या को निरस्त करते हुए मामले में संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध नोटिस जारी की गयी, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में याचिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित–17.10.2023 द्वारा अभियुक्तगण को अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से विचारण न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना–पत्र दाखिल करने की अनुमति देते हुए उक्त याचिका को निस्तारित कर दिया।

3–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिये गये हैं कि–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को साजिशन मिथ्या आरोप लगाते हुए फर्जी तथ्यो के आधार पर मामले में झूॅठा नामजद किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा कथित घटना के सम्बन्ध में दर्शाये गये तथ्यों के सम्बन्ध में कोई सत्यता नहीं है। वादिनी मुकदमा को किस प्रकार यह जानकारी हुई कि उसके पति को पान–मसाले में जहर मिलाकर दिया गया है, इसका कोई विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नहीं है। वादिनी मुकदमा, मृतक के साथ स्वयं नही थी और न ही उसने ऐसा कोई कथन किया है कि उसके पति ने या अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने पान–मसाला खरीदने व उसको जहर देने की बात बतायी है। वादिनी मुकदमा द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृतक किसके साथ बातो में मसगूल था, किसने पान मसाला खरीदा एवं किसने पान–मसला वादिनी के पति को खिलाया और न ही यह बात बतायी गयी कि मृतक एवं अभियुक्तगण के मध्य क्या मामला था, जिसे तय करने के लिये अभियुक्तगण, मृतक को अपने साथ बुलाकर ले गये, इसके अतिरिक्त अगर मृतक को यह जानकारी थी कि अभियुक्तगण द्वारा पान मसाले में जहर दिया गया है, तो वादिनी मुकदमा के कथनानुसार मृतक अभियुक्तगण द्वारा दी गयी टेबलेट क्यो खाता ? साथ ही वादिनी मुकदमा का कथन भी अविश्वसनीय है कि तीनों अभियुक्तगण द्वारा मृतक को उक्त टेबलेट खिलायी गयी। वादिनी ने यह नहीं कहा है कि उसके पति ने उससे बताया था कि उसे जहर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अविश्वसनीय है कि जो व्यक्ति जान से मारने हेतु जहर देगा, वही फिर जहर दिये गये व्यक्ति को घर ले जायेगा तथा अस्पताल साथ लेकर जायेगा, सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया गया है कि मरीज व उसके परिवार के लोगों ने उल्टी–दश्त की शिकायत बतायी थी, इससे स्पष्ट है कि मृतक द्वारा किसी से यह नहीं बताया गया कि उसे किसने जहर दिया है। मामले के स्वतंत्र साक्षी मकान मालिक गंगाप्रसाद के बयान के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, मृतक को अस्पताल नहीं ले गये थे, वह और मृतक की पत्नी, मृतक को अस्पताल ले गये थे और

मृतक को पेट दर्द उस समय नहीं हो रहा था, मृतक ने किसी के द्वारा कोई चीज खिलाना नहीं बताया था। गवाह–सतीश द्विवेदी का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि मृतक राजेश रास्ते में कह रहा था कि उसे प्रार्थीगण द्वारा जहर दिया गया, अपने दूसरे बयान दिनांकित–13.07.1992 में साक्षी–सतीश द्विवेदी द्वारा विवेचक को यह बताया गया था कि मृतक ने किसी सरदार व व्यक्ति का नाम नहीं बताया और न ही कोई चीज खिलाने की बात बतायी। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज साथ में जाने वाले साक्षी गंगाप्रसाद द्वारा भी साक्षी सतीश द्विवेदी के बयान दिनांकित–13.07.1992 की पुष्टि की गयी है। साक्षी सतीश के विरोधाभाषी कथन के आधार पर प्रसंज्ञान लेना न्यायसंगत नहीं है। पंचायतनामा में–''मृत्यु जहर खाने के कारण मालूम होती है।'' यह राय पंचान था किसी ने यह नहीं कहा कि मृतक को जहर खिलाया गया। मेड़िकल कालेज लखनऊ के दिनांक–26.04.1992 के मेमोरेन्डम में बीमारी के कॉलम में सन्दिग्ध जहर लिखा है, जिसके आधार पर दिनांक–27.04.1992 को फर्जी तथ्यो के आधार पर वादिनी ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। मृतक के विसरा में विष पाया गया। एलमुनियम फासफाईड़ विष एक तीव्र गन्ध वाला पदार्थ है, इसे धोखे से खिलाया जाना सम्भव नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जयपाल बनाम हरियाना राज्य (2003)–1–एस0सी0सी0 169** में ऐसा निष्कर्ष दिया गया है। साथ ही कथित घ ाटना के समय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सीतापुर में नहीं थे, बल्कि पंजाब गये हुए थे। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्मोचित किये जाने योग्य हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित विधि–व्यवस्थाये प्रस्तुत की गयी हैं–

1–मनोज कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य (दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–888/2008, निर्णय दिनांकित–17.05.2023 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपो का विरचन केवल तभी अनुज्ञय है, जब पर्याप्त आधार हो कि अपराध कारित हुआ है। अभिकथन के समर्थन में आवश्यक सामग्री हो, जो साक्ष्य में परिवर्तित किये जाने योग्य हो। यदि आरोप विरचित करने के लिये आधार न हो तो अभियुक्त उन्मोचित किये जाने का हकदार है।

2–श्रीमती पूजा बनाम उ0प्र0 राज्य दाण्डिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या–26741/2011 निर्णय तिथि–21.11.2011 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह अवधारित किया है कि, ''इस प्रक्रम पर अन्वेषण के दौरान एकत्र की गयी और धारा–173 दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन दाखिल पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में न्यायालय के समक्ष पेश की गयी सामग्री एकमात्र सुसंगत सामग्री है। न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि आरोपित किये जाने वाले अपराध के अवयव उस सामग्री से सिद्ध हुए हैं। यदि उस सामग्री में कोई अवयव लुप्त है तो आरोप की विरचना नहीं की जा सकती है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना करने के लिये न्यायालय इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि प्रथमदृष्टया वाद सिद्ध हुआ है या नहीं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध किया गया और यह कथन किया गया कि वादी मुकदमा एवं उसके पुत्र अभियोजन साक्षी सचिन के बयानो में घटना का विस्तृत विवरण है। इसके अतिरिक्त उनके बयान की पुष्टि साक्षी सतीश द्विवेदी द्वारा की गयी है। अभियोजन साक्षियो के कथन एवं चिकित्सीय दस्तावेजो से अभियुक्त के

विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त मामला बनता है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन के तथ्य साक्षियो चिकित्सीय साक्षियो के बयान, प्रथम सूचना रिपोर्ट, गांधी मेमोरियल हास्पिटल की एड़मिशन स्लिप, पंचायतनामा एवं पोस्टमोर्टम रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक राजेश खरे की मृत्यु विष के सेवन से हुई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार यह एलमिनियम फासफाईड़ विष था। वादिनी मुकदमा की तहरीर एवं बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान तथा साक्षी सचिन के बयान के अनुसार दिनांक–25.04.1992 की रात्रि समय–09:00 बजे, मृतक राजेश खरे को उक्त अभियुक्तगण एक अन्य व्यक्ति के साथ लेकर गये थे एवं जब वे राजेश खरे को लेकर लौटे तो राजेश खरे की तबियत खराब थी, उसे पेट में दर्द हो रहा था। अपने बयान में इन साक्षियों द्वारा उल्लिखित किया गया है कि मृतक राजेश खरे बार–बार यह कह रहा था कि उक्त तीनों ने उसे पान–मसाला के बहाने कुछ खिला दिया है। अभियुक्तगण एवं उक्त अज्ञात व्यक्ति मृतक राजेश खरे को यह कहते हुए अपने साथ ले गये थे कि मामला तय करना है। वादिनी के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से यह स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्तगण एवं मृतक राजेश खरे के मध्य व्यवसायिक लेन देन के सम्बन्ध में विवाद हुआ था। साक्षी सतीश द्विवेदी द्वारा भी अपने प्रथम बयान दिनांकित–30.04.1992 में यह कथन किया गया है कि राजेश खरे रास्ते में यह कह रहे थे कि मुझे बलविन्द्र सिंह एवं गौरी सरदार आदि ने जहर दिया है। इस प्रकार मृतक द्वारा मृत्युपूर्व मृत्युकालिक कथन किया गया है एवं यह स्थापित विधि है कि सत्यता स्थापित होने पर मृत्युकालिक कथन अकेले ही दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त आधार है। यद्यपि कि लगभग तीन माह के उपरान्त दिनांक–13.07.1992 को उक्त सतीश द्विवेदी द्वारा अपने बयान में परिवर्तन करते हुए ऐसे किसी तथ्य से इन्कार किया है किन्तु किन परिस्थितियों उसने उक्त विरोधाभाषी बयान दिया, यह विचारण का बिन्दु है एवं इस स्तर पर इसे नहीं देखा जा सकता। साथ ही अभियुक्तगण की तरफ से अपने प्रार्थना–पत्र आधारों के अन्तर्गत वर्णित धारा 2 से लेकर 11 तक जो आधार लिये गये है, वह विचारण के बिन्दु है।

निष्कर्षस्वरूप, वादिनी की तहरीर एवं उसके बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण सचिन एवं सतीश के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता व अभियोजन के चिकित्सीय साक्ष्य, जिसके अन्तर्गत गांधी मेमोरियल हास्पिटल की एड़मिशन स्लिप एवं पोस्टमोर्टम मोर्टम रिपोर्ट शामिल है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आदि के आधार पर अभियुक्तगण बलविन्द्र सिंह व गुरूदीप सिंह उर्फ गौरी सरदार के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बलविन्द्र सिंह एवं गुरूदीप सिंह उर्फ गौरी सरदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–24ख, वास्ते उन्मोचित किये जाने अभियुक्तगण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बलविन्द्र सिंह एवं गुरूदीप सिंह उर्फ गौरी सरदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–24ख, वास्ते उन्मोचित किये जाने अभियुक्तगण खारिज किया जाता है। चूँकि उक्त मामले की सत्र सुपुर्दर्गी धारा–209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दी गयी आज्ञापक औपचारिकता को पूरा किये बिना की गयी है। अतः अवर न्यायालय की पत्रावली

इस आदेश की प्रति सहित इस निर्देश के साथ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर को वापस की जाती है कि वह धारा–204 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दी गयी प्रक्रिया का त्वरित पालन सुनिश्चित करने के उपरान्त विचारण हेतु पुनः पत्रावली को सत्र सुपुर्द करे।

पत्रावली दिनांक–22.12.2023 को वास्ते अग्रिम आदेश पेश हो।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
(JO Code: UP02696)
अपर सत्र न्यायाधीश/
कोर्ट संख्या–8,
सीतापुर।

दिनॉक–28.11.2023

उदित/–